रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2016/फाल्गुन 12, 1937
No. 550] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2016/ PHALGUNA 12 , 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2016

संख्या 12 /2016

का.आ. 639(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त उपवाक्य के प्रयोजनों के लिए स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर अनसडयूलड इंटरचेंज फंड-वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पैन नं. (एएआईएएस0980जे), जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 (2003 का 36) के तहत गठित निकाय है, को उक्त निकाय के उद्दूत होने वाली विनिर्दिष्ट आय के बारे में अधिसूचित करती है, नामित :-

(क) अनसडयूलड इंटरचेंज चार्ज;

(ख) ब्याज से उद्भूत या व्युत्पन्न आय;

(ग) विनिर्दिष्ट और अनसडयूलड इंटरचेंज चार्ज से आय के संबंध में।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि, नामित स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर अनसडयूलड इंटरचेज फंड - वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड :-

(क) यह कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगा;

(ख) इसके क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे;

(ग) यह उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (च) के उपबंधों के अनुसार अपनी आयकर विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 के लिए लागू माना जाएगा और वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 तक लागू रहेगी।

[फा. सं.196/51/2012-आ.का.नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक